रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1917] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 2013/श्रावण 28, 1935
No. 1917] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 19, 2013/SHRAVANA 28, 1935

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2013

का.आ. 2491(अ).-यत: राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 जो सा.का.नि. 838(अ) तारीख 05-12-2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के नियम 3 तथा इसके संशोधन के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स डी.ए. टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड को का. आ. संख्या 104 (अ) तारीख 18-01-2010 द्वारा डिजाइन, निर्माण वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में रा.रा-2 के 20.500 कि.मी. से 200.00 कि.मी. (दिल्ली-आगरा सेक्शन) तक के खण्ड का छह लेन के विभाजित सड़क मार्ग में विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए शुल्क उद्ग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ।

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधाारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एदत्द्वारा संख्या का.आ. 104(अ) तारीख 18-1-2010 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

1. अधिसूचना संख्या का.आ. 104(अ) के प्रकाशन की तारीख को 18-1-2010 के बजाय 18-1-2011 पढ़ा जाए ।

2. अधिसूचना के स्पष्टीकरण के पैरा 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''शुल्क में पिछली बार किए गए संशोधन की तारीख से 6 (छह) मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा ।''

[भाराराप्रा/13013/564/10-11/सीओ/जीसी फरीदाबाद (20.5-200.0) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2013

S.O. 2491(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published *vide* G.S.R. 838(E) dated 5-12-2008 and its amendment, M/s. DA Toll Road Private Limited was authorized to collect and

retain the fee for the development, operation and maintenance of the stretch from km. 20.500 to km. 200.000 (Delhi-Agra section) of NH-2 in the States of Haryana and Uttar Pradesh to six lane divided carriageway on Design, Build, Finanace, Operate and Transfer (DBFOT) basis *vide* No. S.O. 104(E) dated 18-1-2010.

Now, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the Natioanl Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published *vide* No. S.O. 104(E) dated 18-1-2010.

1. The date of publication of the Notification bearing No. S.O. 104(E) may be read as 18-1-2011 instead of 18-1-2010.

2. Para 5 of the Explanation of the Notification shall be substituted as follows :

"The revision of fee shall not be effected within a period of 6(six) months from the date of preceding revision of Fee."

[NHAI/13013/564/10-11/CO/GC Faridabad (20.5-200.0)BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.